

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एनएचएम मुख्यालय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर


क्रमांक:- एफ.20 (254-Loyalty) एनएचएम/एचआर/2021-22/ 2572 दिनांक: 26/10/21

-:आदेश:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त सहमति में दिये निर्देशों के क्रम में लॉयल्टी बोनस/अनुभव बोनस दिये जाने की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के ऐसे संविदाकर्मी जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2021 को 03 व 05 वर्षीय संतोषजनक संविदा सेवाये एक ही पद पर पूर्ण कर ली गई हैं, उन्हें क्रमशः 10 एवं 15 प्रतिशत की दर से दिनांक 01.04.2021 को एक बारीय (One Time) Loyalty Bonus/Experience Bouns दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि की गणना उन्हें दिनांक 31.03.2021 को दिये जा रहे मासिक मानदेय की दर पर की जायेगी और यह लाभ वर्तमान में एनआरएचएम में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही देय होगा।
- एनएचएम में ऐसे संविदा कर्मी जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2017 को 05 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में 15 प्रतिशत की दर से एकबारीय Loyalty Bonus/Experience Bonus दिया जा चुका है। उन्हें पुनः Loyalty Bonus/Experience Bonus देय नहीं होगा।
- एनएचएम में ऐसे संविदा कर्मी जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2017 को 03 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में 10 प्रतिशत की दर से एकबारीय Loyalty Bonus/Experience Bouns दिया जा चुका है। उन्हें दिनांक 31.03.2021 को 05 वर्षीय सेवा पूर्ण पर 05 प्रतिशत (15-10=5 प्रतिशत) Loyalty Bonus/Experience Bonus देय होगा।
- यदि किसी संविदा कार्मिक ने उच्च पद एवं बेहतर भुगतान के पद हेतु आवेदन किया है और उच्च पद पर आसीन हो चुका है तो ऐसे कार्मिकों पर उपरोक्त स्वीकृति लागू नहीं होगी। (If a person has applied and already moved up, to a better and paid position within the system, it will not warrant experience bonus)
- दिनांक 31.03.2021 के पश्चात् 03 एवं 05 वर्षीय सेवायें पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों पर उपरोक्त स्वीकृति लागू नहीं होगी।
- पात्र संविदा कार्मिकों को Loyalty Bonus/Experience Bonus का भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी Minimum Performance Benchmark 2019 पर आधारित Revised Annual Performance Appraisal जिनके प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन के पश्चात् संविदा सेवा संतोषजनक पाये जाने के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 20 (118) एनएचएम /एचआरडी/बैंचमार्क /2021/307 दिनांक 12.02.2021 पूर्व में जारी किया जा चुका है।
- किसी संविदा कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन (अप्रेजल) में प्रतिकूल प्रविष्टि संविदा होने या सेवाये संतोषजनक नहीं होने पर उक्त स्वीकृति लागू नहीं होगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी। Loyalty Bonus/Experience Bonus की वित्तीय स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी।



(सुधीर कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं

मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक:- एफ.20 (254-Loyalty) एनएचएम/एचआर/2021-22/ 2572

दिनांक: 26/10/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, चि0 एवं स्वा0 विभाग राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर।

3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव चि0 एवं स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक जनस्वास्थ्य, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच, जयपुर।
8. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।
10. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, एनएचएम, जयपुर।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी/मातृ स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य/प0क0/आरबीएसके/टीकाकरण, मुख्यालय, जयपुर।
13. राज्य नोडल अधिकारी एनयूएचएम/वर्तिकल कार्यक्रम मुख्यालय, जयपुर।
14. अनुभाग अधिकारी-एचआर, एनएचएम, जयपुर।
15. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) एनएचएम, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन।
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
18. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
19. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
20. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ/प0क0), समस्त जिले, राजस्थान।
21. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, समस्त जिले।
22. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
23. प्रभारी -सर्वर रूम को ईमेल करने हेतु *पत्र विग्नान web-site पर अपलोड करते।*
24. रक्षित पत्रावली।


 परियोजना निदेशक
 एनएचएम